मरूगन

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 997/2008)

7 जुलाई, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम् जे जे.)

दण्ड संहिता, 1860- धारा 376 (1) सहपठित धारा 511 तथा धारा 302- बलात्कार तथा हत्या- दोषसिद्धि पर- पति ने अभियुक्त को अपनी पत्नी के उपर उसका गला घोटते हुए पाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई- अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोषसिद्ध अन्तर्गत धारा 376 (1) सहपठित धारा 511 तथा धारा 302- औचित्यतता- कहा गया: न्यायोचित- अधीनस्थ अदालतों के द्वारा साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया गया और अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में सही निष्कर्ष निकाला गया। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पी.डब्ल्यू-1 व्यापार में लगा हुआ था तथा उसने अभियुक्त को सहायक के रूप में नियुक्त कर रखा था। भूतल पर कारोबार किया जाता था तथा अभियुक्त भी वहीं रहता था, जबकि पी.डब्ल्यू-1 और उसका परिवार पहली मंजिल पर रहते थे। घटना के रोज, पी.डब्ल्यू-1 ने भूतल से चेतावनी भरी आवाज सुनी और दरवाजा खोलने की कोशिश की, परन्तु दरवाजा अंदर से बंद पाया। पी.डब्ल्यू-1 ने फिर खिड़की से झांक कर देखा कि अभियुक्त उसकी पत्नी पर था, जो जमीन पर पड़ी थी। अभियुक्त उसका गला घोंट रहा था। इसके बाद अभियुक्त ने अंदर से दरवाजा खोला और भाग गया। पी.डब्ल्यू-1 ने पी.डब्ल्यू-2 के साथ मिलकर अभियुक्त का पीछा किया। पी.डब्ल्यू-1 चर्च गया और वहां के लोगों को घटना के बारे में बताया। वह अपने घर वापिस आया और अपनी पत्नी को मृत पाया। पी.डब्ल्यू-1 ने परिवाद दर्ज करवाया। अनुसंधान किया गया। डॉ. के द्वारा शव परीक्षण किया गया। गवाहों से पूछताछ की गई। विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी

को धारा 376 (1) सपठित धारा 511 तथा धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया गया तथा दस वर्ष का कठोर कारावास एवं आजीवन कारावास अधिरोपित किए गए। उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया, जिस पर यह अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय के द्वारा अपील खारिज की गई।

अभिनिर्धारित:

1. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण किया और अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचे। विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के तर्कों में कोई दुर्बलता नहीं, जिसमें कि किसी दखल की जरूरत हो। (Para-11) (84-B)

2.1 पी.डब्ल्यू-1 ने पी.डब्ल्यू-2 के साथ अभियुक्त का पीछा करने का फैसला किया और चर्च में कुछ लोगों को पाया, जो पास में ही थी। उन्हें घटना के बारे में बताया और उसके पश्चात् अपनी पत्नी के साथ हुई घटना का परिणाम जानने के लिए वापिस अपने घर आ गया। पी.डब्ल्यू-1 ने अभियुक्त को अपनी पत्नी का गला घोंटते देखा, जिससे वह स्वाभाविक रूप से सदमे की स्थिति में था। किसी सदमे में डूबे हुए व्यक्ति के लिए अपने आस-पास के लोगों से अपना दुःख सांझा करना काफी आम बात है। ऐसा नहीं है कि पी.डब्ल्यू-1 चर्च में कुछ लोगों को सूचित करने बाद अपनी पत्नी के साथ हुई घटना के परिणाम की पुष्टि किए बिना सीधे पुलिस थाना पहुंच गया हो। (Para-8) (83-A, B & C)

2.2 अभियुक्त को दिनांक 06.09.2000 को गिरफ्तार किया गया था और उसके इकबालिया कथन के आधार पर ही उसके कपड़े बरामद किए गए थे। ऐसा नहीं है कि पी.डब्ल्यू-1 ने खिड़की से घटना देखने के तुरन्त बाद दरवाजा खोल दिया हो, अभियुक्त जो घर के अंदर था, को अपने खून से सने हुए कपड़े उतारने तथा उन्हें घर में एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए समय मिला होगा। इसके अलावा ऐसे शख्स को कपड़े उतारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो अपराध स्थल से भागने की जल्दी में हो।

उपरोक्त के मद्देनजर, अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त के कपड़ों की बरामदगी पर संदेह करने योग्य कुछ भी नहीं है। अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी से उसके विरुद्ध दोषसिद्धि की धारणाएं बनती हैं। (Para-9) (83-C, E & F)

2.3 यह एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां अभियुक्त ने यह घृणित प्रतिवाद किया कि पीड़िता के साथ पहले उसके कुछ संबंध थे और उसने पी.डब्ल्यू-1 को उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा। अभियुक्त ने कहा कि वह हत्या को अंजाम देने वाला व्यक्ति नहीं था। यदि पीड़िता का दूर-दराज के स्थान पर रहने वाले किसी अजनबी के साथ संबंध होता, तो यह बात सामने नहीं आती, परन्तु भूतल पर पांच वर्ष तक रहने वाले अभियुक्त का बिना किसी की नजर में आए संबंध बनाने का आधार इतना खोखला है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। (Para-10) (83-G, H; 84-A)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या-997/2008

आपराधिक अपील संख्या-1547/2003 में मद्रास उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.06.2006 के विरुद्ध

प्रशान्थी प्रसाद (**SCLSC**) अपीलार्थी की ओर से।

आर. शुनमुगसुन्दरम, एस.जे. अरस्तू और वी.जी. प्रगासम- प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.द.सं.) की धारा 376 (1) सपठित धारा 511 तथा 302 के तहत दण्डनीय अपराधों में अपीलार्थी के दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। अपीलार्थी को दो अपराधों के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अतिरिक्त जुर्माना अदा करने तथा चूक करने पर शर्तें अधिरोपित की गई।

3. बिना किसी अनावश्यक विवरण के अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:-

तमिलसेल्वी (इसके बाद मृतक के रूप में संदर्भित) कोई और नहीं, बल्कि एंड्रयूज (पी.डब्ल्यू-1) की पत्नी है। उनके तीन बच्चे थे। रोमियो (पी.डब्ल्यू-10) को छोड़कर अन्य दो बच्चे एक छात्रावास में रह रहे थे।

पी.डब्ल्यू-1 गांधी नगर चैन्नई में अपने घर के भूतल पर मूंगफली केक का कारोबार करता था। उसके घर के भूतल के उपर इसी घर में पी.डब्ल्यू-1 की पत्नी पीड़िता तथा उसकी पुत्री रोमियो रहते थे। पी.डब्ल्यू-1 की दुकान में अभियुक्त मरूगन सहायक के रूप में नियुक्त था, जो भूतल पर रहता था तथा वहीं कारोबार संचालित किया जा रहा था। मृतका भी पी.डब्ल्यू-1 से यहीं से भोजन का राशन प्राप्त करती थी।

दिनांक 03.08.2000 को दोपहर लगभग 1.30 बजे पीड़िता, अभियुक्त को खाने का राशन देने के लिए भूतल पर गई थी। पी.डब्ल्यू-1 ने कुछ देर तक इन्तजार किया, लेकिन पीड़िता वापिस नहीं आई। वह नीचे भूतल पर आया और एक चेतावनी भरी आवाज सुनी। जब उसने भूतल पर बाहरी दरवाजे को धक्का देने का प्रयास किया तो पाया कि वह अंदर से बंद है। पी.डब्ल्यू-1 घर के चारों ओर घुमा और खिड़की से झांककर देखा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि अभियुक्त, जमीन पर पड़ी उसकी पत्नी के उपर रहकर उसका गला घोंटने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद अभियुक्त ने अंदर से दरवाजा खोला और घटनास्थल से भाग गया।

पी.डब्ल्यू-1 ने एलूमलाई, पी.डब्ल्यू-2 के साथ पीछा किया। अभियुक्त पास ही झाड़ी में छिप गया। वह चर्च में गया और वहां लोगों को इस घटना की जानकारी दी। वह अपने घर वापिस आया तथा अपनी पत्नी को मृत पाया। इसके बाद पी.डब्ल्यू-1 कोलाथुर पुलिस थाना गया और पुलिस उप-निरीक्षक पी.डब्ल्यू-9, जो वहां मौजूद था, के पास परिवाद (**EXP**-1) दर्ज करवाया। बाद में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध संख्या-1050/2000 में मामला दर्ज किया गया और मुद्रित प्रथम सूचना रिपोर्ट

EXP-9 तैयार की गई और उसे संबंधित विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज दिया तथा उसकी प्रतियां उच्च अधिकारियों को भेजी गई।

उस वक्त नियमित पुलिस निरीक्षक वर्धराजन पी.डब्ल्यू-14 छुट्टी पर थे, पुलिस निरीक्षक श्री नटराजन पी.डब्ल्यू-13, जो उपरोक्त पुलिस थाना के प्रभारी थे, ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त होने पर मामले में अनुसंधान आरंभ किया तथा घटनास्थल पर पहुंचे और नक्शा मौका **EXP**-12 तैयार किया। उन्होंने पी.डब्ल्यू-2 चेलैया तथा पी.डब्ल्यू-4 एवं एक अन्य गवाह की उपस्थिति में अवलोकन महाजर **EXP**-2 भी तैयार किया। उन्होंने उपरोक्त गवाहों की उपस्थिति में शव की जांच की तथा उसी रोज सायं 8.30 बजे शव जांच रिपोर्ट **EXP**-13 तैयार की। पी.डब्ल्यू-13 के द्वारा संबंधित महाजर **EXP**-3 के जरिए थाली चेन एमओ-4 तथा पैकिंग सामग्री एमओ-7 बरामद की गई। उन्होंने शव को डॉक्टर के पास ले जाने तथा शव परीक्षण करवाने के उद्देश्य से शव को पी.डब्ल्यू-8 हैड कांस्टेबल मोहन को सुपुर्द किया।

डॉक्टर देवासिगमनल पी.डब्ल्यू-7 ने दिनांक 04.09.2000 को सुबह लगभग 11.40 बजे पीड़िता के शव का शव परीक्षण किया तथा शव पर निम्निलिखित चोटें व लक्षण पाए:-

1- गर्दन के सामने थायरॉयड उपास्थि के स्तर पर एक स्पष्ट दिखाई देने वाला अपूर्ण तिरछा खरोंच का निशान, 16 X 1 से.मी., खरोंच सामने की ओर 6 से.मी., ठुड्डी के नीचे 6 से.मी. तथा सुप्रास्टर्नल नोच के उपर 6 से.मी. संयुक्ताक्षर खरोंच का निशान तथा गर्दन के पीछे की तरफ खरोंच का निशान अनुपस्थित। खरोंच के नीचे चमड़ी से गहरे नरम उत्तकों को संकुलित पाया गया।

2- हाईओड अस्थि के दाहिने सींग का अंदरूनी दबाव का अस्थि भंग, आस-पास के कोमल उत्तकों में रक्त के अत्यधिक बहाव के साथ पाया गया।

3- हृदय सामान्य स्थिति में, श्वास नली सामान्य स्थिति में, खाली पेट जिसमें 200 M.L. भूरे रंग का द्रव्य, जिसमें आंशिक रूप से पचे तथा पक्के हुए चावल के अंश। कोई निश्चित गंध नहीं।

4- जांच के बाद आरोप-पत्र पेश किया गया। अभियुक्त के द्वारा खुद को निर्दोष बताए जाने पर उस पर विचारण आरंभ किया गया।

5- अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 14 गवाहों को परीक्षित करवाया। गवाह पी.डब्ल्यू-1 तथा पी.डब्ल्यू-2 की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोषी पाया गया तथा उसे दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय के द्वारा दोषसिद्धि तथा सजा की पुष्टि की गई।

6- अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि उच्च न्यायालय के द्वारा बचाव पक्ष को गलत तरीके से खारिज किया गया है। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर अभियुक्त को गवाह पी.डब्ल्यू-1 की पत्नी के साथ देखने के बाद गवाह पी.डब्ल्यू-1 का आचरण अस्वाभाविक बताया गया है, जिस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था। घटनास्थल पर पी.डब्ल्यू-2 की उपस्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है।

7- प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

8- पी.डब्ल्यू-1 ने पी.डब्ल्यू-2 के साथ अभियुक्त का पीछा करने का फैसला किया और पास में स्थित चर्च में कुछ लोगों को पाया और उन्हें घटना के बारे में बताया तथा उसके बाद अपनी पत्नी के हालात की पुष्टि करने के लिए अपने घर वापिस गया। जाहिर तोर पर पी.डब्ल्यू-1, अभियुक्त को अपनी पत्नी का गला घोंटता हुआ देखकर सदमे की स्थिति में था। यह पूरी तरह से सामान्य व्यवहार है कि सदमे में आया हुआ शख्स अपने निकट पाए जाने वाले लोगों के साथ अपना दुःख सांझा करता है। ऐसा नहीं है कि पी.डब्ल्यू-1, चर्च में कुछ लोगों को घटना के बारे में बताने के बाद अपनी पत्नी की हालात की पुष्टि किए बिना सीधे पुलिस थाना पहुंच गया हो।

9- अभियुक्त को दिनांक 06.09.2000 को गिरफ्तार किया गया तथा केवल उसके इकबालिया कथनों के आधार पर ही उसके कपड़े बरामद किए गए थे। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त, जिसे अपराध करते हुए देखा गया था, को अपने कपड़े सुरक्षित स्थान पर छिपाने में कुछ समय नहीं मिला होगा। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पी.डब्ल्यू-1 ने खिड़की से झांक कर घटना देखी और दरवाजा खोलने के उद्देश्य से दरवाजे के पास आया। दरवाजा अंदर से अभियुक्त के द्वारा खोला गया था। ऐसा नहीं है कि पी.डब्ल्यू-1 के द्वारा खिड़की से घटना देखने के तुरन्त पश्चात् दरवाजा खुल गया हो। अभियुक्त, जो घर के अंदर था, को अपने खून से सने हुए कपड़े उतारने तथा घर में एक सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु समय मिला होगा। इसके अलावा उस व्यक्ति को कपड़े उतारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो अपराध स्थल से भागने की जल्दी में हो। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान अधिकारी के द्वारा अभियुक्त के कपड़ों की बरामदगी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अभियुक्त की निशानदेही पर की गई बरामदगी उसके दोषी होने की उप-धारणा करती है।

10- यह एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां अभियुक्त ने यह घृणित प्रतिवाद किया कि पीड़िता के साथ पहले उसके कुछ संबंध थे और उसने पी.डब्ल्यू-1 को उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा। अभियुक्त ने कहा कि वह हत्या को अंजाम देने वाला व्यक्ति नहीं था। यदि पीड़िता का दूर-दराज के स्थान पर रहने वाले किसी अजनबी के साथ संबंध होता, तो यह बात सामने नहीं आती, परन्तु भूतल पर पांच वर्ष तक रहने वाले अभियुक्त का बिना किसी की नजर में आए संबंध बनाने का आधार इतना खोखला है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

11- विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण किया और अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हम विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए कारणों में कोई कमी नहीं पाते, जिसके लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

12- अपील असफल रही और खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सत्यपाल वर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।